अलवर के युवक को दिल्ली लेकर गई पुलिस, तिहाड़ जेल में मौत

अलवर सदर थाने का परिजनों और ग्रामीणों ने घेराव किया

अलवर, (निसं)। साइबर फ्रॉड के मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से अलवर के तूलेड़ा से गिरफ्तार कर लेकर गए एक युवक की मौत हो गई। युवक के परिजन और ग्रामीणों ने सोमवार रात 11 बजे तक सदर थाने के सामने घेराव किया। इसके बाद पुलिस अधिकारी पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों से समझाइश कर बताया कि युवक को दिल्ली पुलिस ही लेकर गई थी। सदर पुलिस की इसमें कोई भूमिका नहीं है।

मामले को लेकर एएसपी प्रियंका ने बताया कि दिल्ली में द्वारका की साइबर टीम अलवर आई थी। साइबर फ्रॉड के मामले में तूलेड़ा गांव निवासी टिंडू पुत्र भंवरदास को लेकर गई थी। वहां तिहाड़ जेल में आरोपी युवक बंद था। जेल के अंदर ही युवक की मौत हो गई है। मौत का कारण सामने नहीं आया है। हालांकि प्रारंभिक जानकारी में सुसाइड जैसी बात सामने आई थी।

मृतक के परिजन और ग्रामीणों ने रात को ही थाने पर हंगामा कर दिया।

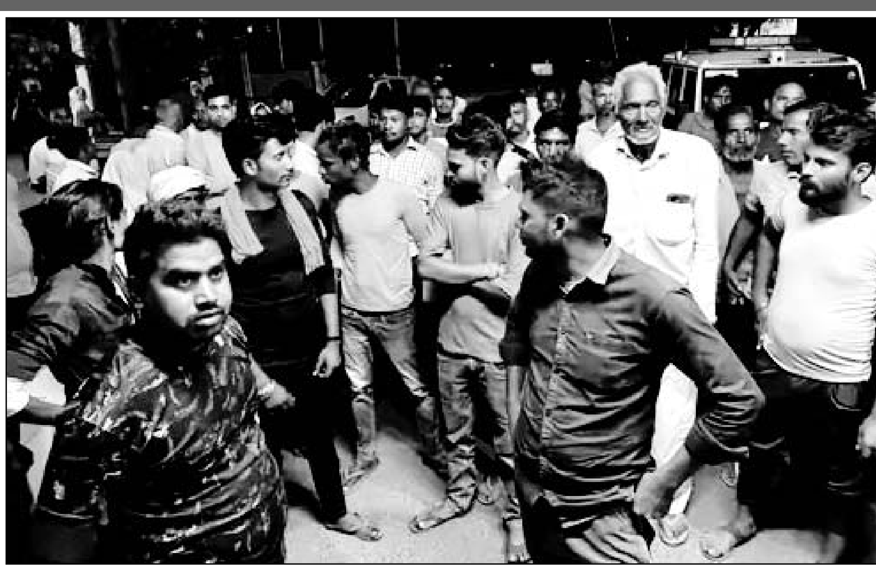

युवक के परिजन और ग्रामीणों ने अलवर सदर थाने के सामने घेराव किया।

- पुलिस का कहना है कि मामले की न्यायिक जांच होगी, जो भी घटना होगी, इसकी पुष्टि भी की जाएगी
- साइबर फ्रॉड के मामले में दिल्ली पुलिस ने युवक को अलवर के तूलेड़ा से गिरफ्तार किया था, जेल में युवक की मौत हो गई थी
- मौत का कारण सामने नहीं आया

उन्होंने कहा कि युवक टाइल्स लगाने का काम करता था और पूरी तरफ स्वस्थ था। सदर थाना पुलिस गांव में भी पहुंची थी। उसके बाद ही दिल्ली पुलिस लेकर गई है। अब युवक की मौत के बाद मातम छाया हुआ है। उधर, पुलिस का कहना है कि इस मामले की न्यायिक जांच होगी, जो भी घटना होगी, इसकी पुष्टि भी की जाएगी।

प्रिंसिपल-टीचर के तबादले कर तीन घंटे में पलटी सरकार

40 स्कूल प्रिंसिपल, 7 लेक्चरर और 8 थर्ड ग्रेड टीचर का ट्रांसफर किया गया था

बीकानेर, (निसं)। विधानसभा उप चुनाव की घोषणा से पहले शिक्षा विभाग में ट्रांसफर कर दिए। हालांकि सरकार ने तीन घंटे बाद ही तबादले के आदेश को रद्द कर दिया। 40 स्कूल प्रिंसिपल, 7 लेक्चरर और 8 ग्रेड थर्ड टीचर का ट्रांसफर किया गया था।

- शिक्षा विभाग ने एक ही लिस्ट में 40 स्कूल प्रिंसिपल के ट्रांसफर किए थे, जिसमें 39 फेरबदल अकेले दौसा जिले के थे, दौसा में हुए तबादलों पर मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने आपत्ति जताई थी

शिक्षा विभाग ने एक ही लिस्ट में 40 स्कूल प्रिंसिपल के ट्रांसफर किए थे, जिसमें 39 फेरबदल अकेले दौसा जिले के थे। बैन के बावजूद ग्रेड थर्ड शिक्षकों के भी तबादले किए गए थे। दौसा में हुए तबादलों पर मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने आपत्ति जताई थी और उन्होंने तबादले स्थगित करने की मांग की थी। किरोड़ी के लेटर के बाद शिक्षा विभाग ने तत्काल तबादला आदेश वापस ले लिए। इससे पहले राजस्थान सरकार ने प्रदेश के 78 नगरीय निकायों में की गई राजनीतिक नियुक्तियों पर महज छह घंटे बाद ही रोक लगा दी थी।

माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने प्रिंसिपल के तबादलों की लिस्ट जारी की थी। दौसा के जिला शिक्षा अधिकारी ने अपने अधीनस्थ सभी ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को आदेश दिया था कि जिन टीचर्स का ट्रांसफर हुआ है, उन्हें दोपहर ढाई बजे से पहले जॉइनिंग करवाई जाए। हालांकि आपत्ति के बाद में तबादलों का आदेश वापस लेना पड़ा। ग्रेड थर्ड टीचर की ट्रांसफर लिस्ट प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने जारी की थी। आमतौर पर ग्रेड थर्ड के ट्रांसफर जिला शिक्षा अधिकारी करते हैं, लेकिन ये तबादले प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने किए। लिस्ट में झेलमपुरा, रामपुरा, राताखेत, मांगा राठौरी, वैलवाड़ी, राठौड़ों का गुड़ा, काड़ाफाला, देवाना से ग्रेड थर्ड टीचर के ट्रांसफर हुए। लिस्ट में जिलों का उल्लेख नहीं किया गया। ग्रेड थर्ड टीचर के ट्रांसफर पर रोक है। इसके बाद भी ट्रांसफर लिस्ट में इन टीचर्स को शामिल किया गया।

जब सीताराम जाट से बातचीत करनी चाही तो मीटिंग का हवाला देते हुए बात नहीं की। प्रदेशभर में करीब 90 हजार ग्रेड थर्ड टीचर ट्रांसफर का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग ने महज आठ टीचर का ट्रांसफर किया था। इससे शिक्षक संगठनों में भी रोष है। इस बारे में माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी से बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनके मोबाइल नंबर पर संपर्क नहीं हो सका।

कांग्रेस सरकार ने भी ग्रेड थर्ड टीचर के ट्रांसफर नहीं किए थे। तब तत्कालीन शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा और डॉ. बी.डी. कल्ला के समय में आवेदन मांगे गए थे। 80 हजार से ज्यादा ग्रेड थर्ड टीचर ने ट्रांसफर के लिए आवेदन किया था, लेकिन किसी का ट्रांसफर नहीं हुआ। गौरतलब है कि राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होंगे।

भीलवाड़ा के डॉ. महेश बैरवा का रिश्वत कांड का एक और मामला सामने आया

भीलवाड़ा, (निसं)। जिले के सबसे बड़े राजकीय महात्मा गांधी चिकित्सालय में डॉक्टर महेश बैरवा द्वारा चलाए जा रहे रिश्वतकांड का एक और मामला सामने आया है। पीड़ित ने जिला कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई है।

- एमजीएच के डॉक्टर के खिलाफ पीड़ित ने जिला कलेक्टर से शिकायत की

शिकायतकर्ता आफताब हुसैन पिता अब्दुल रहमान निवासी भवानी नगर भीलवाड़ा ने डॉक्टर महेश बैरवा के खिलाफ इलाज के नाम पर 12 हजार रुपये की वसूली करने का आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है कि सड़क दुर्घटना में चोट से ग्रसित हुए उसके पिता को 3 सितंबर को एमजी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था जहां जांच वह एक्स-रे आदि करने के बाद डॉक्टर महेश बैरवा ने ऑपरेशन करने की बात कही, लेकिन पीड़ित का परिवार सरकारी योजना का हिस्सा नहीं था। इसका फायदा उठाकर डॉक्टर बैरवा ने उन्हें सरकारी पर्ची पर एक मोबाइल नंबर लिखकर दिया जो कि उनके दलाल का था। नंबर लिखने के बाद डॉक्टर बैरवा ने कहा कि कल ऑपरेशन किया जाएगा आप उक्त व्यक्ति से ऑपरेशन का सामान खरीद कर लाएं जब पीड़ित के बेटे आफताब ने उक्त नंबर पर बात की तो दलाल ने उन्हें टीबी हॉस्पिटल के सामने बुलाया और 13 हजार देने पर हाथ का ऑपरेशन होने की बात कही। क्योंकि पीड़ित परिवार गरीब परिवार है ऐसे में उसने पैसे नहीं होने की बात कही तो दलाल ने डॉक्टर से बात करते हुए कहा कि पैसे नहीं दोगे तो पिता का ऑपरेशन नहीं होगा, लेकिन पिता का ऑपरेशन बहुत जरूरी था, इसलिए बेटे आफताब ने परिचितों से पैसे उधार लेकर बड़ी मशक्कत के बाद 12 हजार में सहमति बनाते हुए डॉक्टर के बताए दलाल को पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर करने को कहा, लेकिन दलाल ने ऑनलाइन पेमेंट लेने से इनकार कर दिया।

इस पर अगले दिन चार सितंबर को आफताब ने उसे 12 हजार नगद राशि दी। इस पूरे लेनदेन का वीडियो भी आफताब ने अपने दोस्त के साथ मिलकर बना लिया। ऑपरेशन होने के बाद जब आफताब ने हाथ में डाली जाने वाली प्लेट की मार्केट रेट की जानकारी की तो पता चला कि 4 हजार से 5 हजार की कीमत में आने वाली प्लेट एमजी हॉस्पिटल में डॉक्टरों द्वारा चलाई जा रही कमीशनखोरी के नाम पर आफताब को 12 हजार रुपये में बेच दी गई। डॉ. महेश बैरवा के इस रिश्वतकांड का शिकार हुए पीड़ित आफताब ने इस पूरे मामले की लिखित में शिकायत जिला कलेक्टर नमित मेहता से की तो उन्होंने पूर्व में डॉक्टर बैरवा के खिलाफ चल रही शिकायत का हवाला देते हुए एडीएम के समक्ष पेश होने को कहा। पीड़ित ने इस मामले में एमजी हॉस्पिटल के पीएमओ डॉक्टर अरुण गौड़ और मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर वर्षा सिंह को भी लिखित में शिकायत दर्ज करवाई है।

हादसे में बाइक सवार की मौत

बौंली-बामनवास, (निसं)। क्षेत्र के जटावती गांव नर्सरी के पास ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर से एक बाइक सवार की मौत हो गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार बाइक सवार लोकेश गुर्जर निवासी हथडोली बाइक से अपने बड़े भाई दामोदर की जटावती गांव में दुकान पर दूध देने जा रहा था। इसी दौरान अवैध परिवहन करने तेज गति से बजरी भरने जा रही ट्रैक्टर-ट्रॉली ने जटावती नर्सरी के पास बाइक को टक्कर मार दी जिससे बाइक सवार लोकेश उछलकर बाइक सहित सड़क के नीचे खाई में जा गिरा एवं गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना के बाद ग्रामीण व परिजन युवक को उपचार के लिए टोंक जिला अस्पताल लेकर गए, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पाकर बौंली पुलिस मौके पर पहुंची एवं युवक का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया।

भिवाड़ी में पटाखे बनाने वाली कंपनी पर छापा

भिवाड़ी, (निसं)। एनसीआर क्षेत्र में प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री एवं भंडारण करके रखने वालों के विरुद्ध जिला कलेक्टर किशोर कुमार की ओर से दिए गए कार्रवाई के निर्देश पर एसडीएम लाखन सिंह ने भिवाड़ी के औद्योगिक क्षेत्र चोपनकी में पटाखे बनाने वाली तिवाड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पर छापा मारकर भारी मात्रा में पटाखों का भंडारण एवं मशीनों से पटाखे तैयार करते श्रमिकों को देख कंपनी को सील किया है।

एसडीएम लाखन सिंह ने बताया कि भिवाड़ी के चोपानकी औद्योगिक क्षेत्र में पटाखे बनाने की जानकारी मिलने पर पुलिस के साथ मौके पर पहुंचकर देखा तो चोपानकी औद्योगिक क्षेत्र में पटाखे की तिवाड़ी मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी के अंदर बड़ी तादाद में श्रमिक मशीनों पर पटाखे बनाने में लगे थे। कंपनी के अंदर भारी मात्रा में पटाखों का भंडारण किया हुआ था। श्रमिकों से कंपनी मालिक को लेकर पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि मलिक बाहर गया हुआ है। भारी मात्रा में पटाखे मिलने पर प्रदूषण विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाया गया। जांच के दौरान कोई दस्तावेज नहीं पाए जाने पर कंपनी को सील किया गया। कंपनी मालिक से फोन पर बात की गई तो उन्होंने बाहर होना बताया। कंपनी मालिक को पटाखे निर्मित करने व बिक्री करने के संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया है।

- तिवाड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पर की गई कार्रवाई में भारी मात्रा में पटाखों का जखीरा मिला

चोरी का पर्दाफाश

पोकरण, (कासं)। जिला पुलिस अधीक्षक जैसलमेर सुधीर चौधरी के निकटतम निर्देशन में पुलिस थाना लाठी द्वारा पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज में चोरी करने वाले संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है।

पुलिस थाना लाठी पर 13 अक्टूबर की रात्रि में अज्ञात चोरों द्वारा जनरेटर के पास रखा एक ड्रम दो सौ लीटर डीजल से भरा व 12 किलोमीटर लम्बी संचार लाइन के तार चोरी कर ले जाने की रिपोर्ट पर अलग-अलग प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। इस पर पुलिस टीम का घटन कर मुल्जिम मुख्य सरगना रमजान उर्फ लादेन पुत्र बचायेखा को दस्तयाब कर बाद पूछताछ गिरफ्तार किया गया। मुल्जिम से पूछताछ करने पर अपने साथी रईश पुत्र कमरदीन, घनश्याम पुत्र कल्याणराम, गोविन्द पुत्र तगाराम के साथ मिलकर अपनी गाड़ी कैम्पर से डीजल चोरी करना बताया। मुल्जिम रमजान उर्फ लादेन के कब्जे से बोलेरो कैम्पर जब्त की गई।

डंपर ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को टक्कर मारी, दो की मौत

दो गंभीर घायल, कुछ श्रमिक जोधपुर की ओर जा रहे थे

डीडवाना, (निसं)। नागौर हाईवे पर कोलिया गांव के पास मंगलवार तड़के बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को एक डंपर ने टक्कर मार दी, जिससे दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इसमें से एक घायल की गंभीर हालत को देखते हुए उसे रेफर किया गया है।

जानकारी के अनुसार ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार होकर कुछ श्रमिक मजदूरी के लिए जोधपुर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान तड़के करीब 4:30 बजे जब वे कोलिया गांव से गुजर रहे थे, तभी अचानक एक तेज गति से आ रहे डंपर ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रॉली उखड़ कर कई फीट दूर जा गिरी, वहीं ट्रॉली में रखा सामान भी चारों ओर बिखर गया। इस हादसे में ट्रॉली में सवार मजदूर उदयपुरवाटी निवासी शंकर सिंह और नीम का थाना निवासी ख्यालीराम की मौत हो गई। जबकि बीजू भाकर और पप्पू सिंह नामक मजदूर भी घायल हो गए।

सूचना के बाद डीडवाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतकों के शवों और घायलों को राजकीय बांगड़ जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने बीजू भाकर की गंभीर हालत को देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। हादसे के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है।

पुरुष मित्रों के साथ मिलकर पति को कीटनाशक पिलाया, मौत

महिला ने अवैध संबंधों के चलते वारदात को अंजाम दिया

हनुमानगढ़, (निसं)। अवैध संबंधों के चलते पत्नी ने अपने दो पुरुष मित्रों के साथ मिलकर पति के साथ मारपीट की। फिर पति को जबरन कीटनाशक दवा पिला दी। अस्पताल में इलाज के दौरान पति की मौत हो गई। इस संबंध में भादरा पुलिस थाने में मृतक की पत्नी सहित तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है।

पुलिस के अनुसार बलवंत पुत्र हरिसिंह धाणक निवासी रामबास ने मामला दर्ज कराया है। रिपोर्ट में बताया कि उसके छोटे भाई सुभाष की शादी शर्मिला के साथ हुई थी। इनके दो बच्चे हैं। सुभाष की पत्नी शर्मिला के राजकुमार पुत्र मानसिंह धाणक निवासी भाड़ी से पिछले एक वर्ष से अवैध संबंध थे। उसने, उसके चाचा प्रताप, पिता

- भादरा पुलिस थाने में मृतक की पत्नी सहित तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ
- अस्पताल में इलाज के दौरान महिला के पति की मौत हो गई

हरिसिंह, वेदप्रकाश व सज्जन आदि ने शर्मिला व राजकुमार को कई बार समझाया, लेकिन वे नहीं माने और उनके अनैतिक संबंध वैसे ही जारी रहे। इसी दौरान शर्मिला के सुरेश कुमार पुत्र चिमनाराम जाट निवासी रामबास से भी अवैध संबंध बन गए। शर्मिला के पास सुरेश कुमार व राजकुमार का काफी आना-जाना बढ़ गया।

दो अक्टूबर की रात 10.30 बजे राजकुमार व सुरेश उसके भाई सुभाष की ढाणी आए। दोनों ने सुभाष के साथ मारपीट की, जिससे वह बेसुध हो गया। शर्मिला ने उसके भाई वेदप्रकाश को रात 11 बजे फोन कर बताया कि तुम्हारे भाई सुभाष को पता नहीं क्या हो गया और वह बेसुध पड़ा है। इस पर व उसका भाई वेदप्रकाश बाइक लेकर सुभाष के खेत में बनी ढाणी में गए और सुभाष को संभाला तो वह जोर-जोर से कराह रहा था। तब सुभाष ने उन्हें बताया कि राजकुमार व सुरेश कुमार ने उसके साथ मारपीट की और जबरदस्ती कीटनाशक दवा पिला दी। तुम लोग मुझे बचा लो, ये लोग मुझे जान से मार कर छोड़ेंगे। तब वह व उसका भाई वेदप्रकाश गाड़ी के जरिए सुभाष को हॉस्पिटल में लेकर गए। उसके भाई सुभाष ने रास्ते में बताया कि राजकुमार व सुरेश ने शर्मिला के साथ अवैध संबंधों के चलते उसके साथ मारपीट की और फिर शर्मिला के साथ मिलकर जबरदस्ती कीटनाशक दवा पिला दी।

रास्ते में सुभाष की तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगी। वे सुभाष को लेकर अस्पताल पहुंचे और भर्ती करवाया, लेकिन इलाज के दौरान अपराह्न करीब 3 बजे उसके भाई सुभाष की मौत हो गई। पुलिस ने बीएनएस की धाराओं व एससीएसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। जांच भादरा वृताधिकारी संजीव कटेवा कर रहे हैं।

हथियार की नोक पर बदमाशों ने 3.50 लाख रुपए लूटे

करौली, (निसं)। मासलपुर क्षेत्र के सिलोती काछीपुरा मार्ग पर दिनदहाड़े सिलोती ग्राहक सेवा केंद्र के बीसी से बदमाश कट्टे की नोक पर 3.50 लाख रुपए लूटकर ले गए जिसकी लोगों ने पुलिस में शिकायत की है। घटना सिलौती काछीपुरा मार्ग के रोहर की घाटी के डंगरिया वाले हनुमान मंदिर के पास की है जहां मासलपुर बैंक ऑफ बड़ौदा से 3.50 लाख रुपए ले जाते हुए बैंक के बीसी रिंकू कुशवाहा को कट्टे कि नोक पर रोककर मोटरसाइकिल पर आए तीन नकाबपोश बदमाश 3.50 लाख रूपयों को बैग सहित छीन कर ले गए घटना के बाद क्षेत्र के बीसी संचालकों में रोष व्याप्त हो गया एवं घटना के विरोध में कार्य का बहिष्कार कर दिया।

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
क्रमांक :- राजकाज - 11131401 दिनांक :- 14/10/2024
निविदा सूचना संख्या:- जोन दक्षिण/09/2024-25
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की ओर से निम्न कार्य से संबंधित संस्थान/फर्मो/व्यक्ति/विक्रेता से निर्धारित प्रपत्र मे ई-प्रोक्युरमेन्ट प्रक्रिया से ऑन लाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। इन कार्यो की अनुमानित लागत, निविदा बेचे जाने तथा प्राप्त करने की दिनांक, निविदा शर्तें आदि का सम्पूर्ण विवरण वेबसाईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in, www.jodhpurjda.org, www.sppp.raj.nic.in पर देखा जा सकता है।
NIB CODE :- JOD2425A0085,
UBN No. :- JOD2425WSOB00187, JOD2425WSOB00188
राज.संवाद/सी/24/6539 अधिशाषी अभियंता (प्रोजेक्ट)

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालयः विद्युत भवन, ज्योति नगर, जयपुर-302005
Website- energy.rajasthan.gov.in/jvvnl E-mail: jaipurdiscom@jvvnl.org
कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता (पदार्थ प्रबन्ध-II)
पुराना पावर हाउस परिसर, राम मन्दिर के पास, बनीपार्क, जयपुर-302006
फोन नं0-0141-2202607, e-mail id : semm2@jvvnl.org
'ई-प्रोक्योरमेंट अल्पकालीन निविदा सूचना
निगम की कार्यशाला में खराब डिस्ट्रिब्यूशन ट्रांसफार्मर की मरम्मत के लिए रेट कांट्रैक्ट के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के सामान के खरीद हेतु (निविदा संख्या-2865, यूबीएन- VVN2425GLRC00640) 'ई-प्रोक्योरमेंट' प्रणाली के अन्तर्गत निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा के बारे में अन्य विवरण वेब साईट www.energy.rajasthan.gov.in/jvvnl, www.sppp.rajasthan.gov.in व www.eproc.rajasthan.gov.in पर देखे जा सकते हैं। भविष्य में निविदा में किसी भी प्रकार के संशोधन / तिथि बढ़ाने की जानकारी केवल उक्त वेब साईट्स पर उपलब्ध कराई जाएगी।
जेपीआर-2898 (2024) अधीक्षण अभियन्ता (पदार्थ प्रबन्ध-II)
राज.संवाद/सी/24/6566 बिजली शिकायतों के लिए टोल फ्री नम्बर 1800 180 6507

विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए एमजी हॉस्पिटल की मोर्चरी के बाहर हंगामा किया

भीलवाड़ा, (निसं)। शहर के सुभाष नगर थाना क्षेत्र की शिव नगर कॉलोनी में रहने वाली वाली विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए एमजी हॉस्पिटल की मोर्चरी के बाहर हंगामा खड़ा कर दिया। मृतक महिला के शरीर पर चोट के कई निशान थे, जबकि मृतका के ससुर ने मायके वालों को फोन पर विवाहिता के बीमार होने की सूचना दी थी। मृतका के पिता ने उसके पति व ससुराल पक्ष के अन्य लोगों पर दहेज की मांग पूरी न होने पर हत्या करने का आरोप लगाया है।

करेड़ा थाने के गोरख्या निवासी भिखाराम पुत्र गोपीलाल लौहार ने सुभाषनगर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसने अपनी बेटी निरमा की शादी डेढ़ साल पहले सुरास निवासी कमलेश लौहार से हिंदू-रिती रिवाज के साथ की थी। विवाह के बाद से ही निरमा के साथ उसके पति कमलेश का व्यवहार सही नहीं रहा था, इस बारे में बेटी ने कई बार परिवारजनों को बताया, लेकिन सामाजिक प्रतिष्ठा के चलते परिवार वाले चुप रहे। पिता का आरोप है कि शादी के बाद से ही निरमा से पांच लाख रुपये दहेज की मांग की जाने लगी थी। पति कमलेश, निरमा के साथ मारपीट भी करता था। दहेज में पांच लाख रुपये नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी जाती थी। पिता ने रिपोर्ट में बताया कि उसकी बड़ी माताजी का कल देहांत हो गया था, जहां उसकी बेटी निरमा व दामाद कमलेश लौहार भी शोक व्यक्त करने आये थे। वहां भी पति ने निरमा के साथ मारपीट की और वहां से निरमा को अपने साथ शिव नगर ले गया था। आरोप है कि निरमा का कल शाम को पिता के पास फोन आया था, जिसमें बेटी निरमा ने उससे कहा कि, मेरा पति कमलेश व सांवर लौहार मेरे साथ मारपीट कर दहेज की मांग कर रहे हैं। दहेज नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। कुछ समय बाद पिता भिखाराम के पास निरमा के ससुर

मृतक महिला के शरीर पर चोट के कई निशान थे।

- मृतक महिला के शरीर पर चोट के कई निशान थे, जबकि मृतका के ससुर ने मायके वालों को फोन पर विवाहिता के बीमार होने की सूचना दी थी
- मृतका के पिता ने उसके पति व ससुराल पक्ष के अन्य लोगों पर दहेज की मांग पूरी न होने पर हत्या करने का आरोप लगाया

जगदीश लौहार का फोन आया कि तुम्हारी बेटी निरमा बीमार हो गई है। तुम अरिहंत हॉस्पिटल आ जाओ। पिता व उसके परिजन हॉस्पिटल पहुंचे तो निरमा का शव लेकर पति व ससुराल वाले बैठे मिले। पिता भिखाराम ने जब बेटी का शव देखा तो निरमा के शरीर पर चोटों के कई निशान थे।

रिपोर्ट में बताया कि उसे शंका है कि उसकी बेटी निरमा की हत्या उसके पति कमलेश व उसके ससुराल पक्ष के लोगों ने की है। पिता ने जब शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए कहा तो पति कमलेश व उसके परिवार वालों ने पोस्टमार्टम करेड़ा अस्पताल में करवा देने की बात कही।

आरोप यह भी है कि जब वे शव को पोस्टमार्टम के लिए करेड़ा के लिए लेकर रवाना हुये। तभी आरोपित शव को सुरास गांव के पास ले गये। पिता के पोस्टमार्टम कराने की बात कहने पर उसके व अन्य के साथ आरोपितों ने मारपीट की। जैसे-तैसे पिता व परिजन शव को वहां से एमजी अस्पताल लाये जहां मंगलवार को मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। उधर, सुभाषनगर थाना प्रभारी शिवराज गुर्जर का कहना है कि मृतका के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवा दिया गया है। मामले में मृतका के पिता की शिकायत पर उसके पति कमलेश के खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज कर, मामले की जांच शुरू की गई है।

बुजुर्ग महिला नहर में कूदी, मौत

भरतपुर, (निसं)। मथुरा गेट थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग महिला ने सुजान गंगा नहर में कूदकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। पुलिस ने मृतका के शव का जिला आरबीएम अस्पताल मोर्चरी में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। महिला के परिजनों का कहना है कि महिला की कुछ दिनों पूर्व ही बायपास सर्जरी हुई थी। महिला बीमारी को लेकर अक्सर तनाव में रहती थी। इसी के चलते आत्महत्या कर ली होगी।

मथुरा गेट थाना के किला स्थित चौबुर्जा चौकी इंचार्ज राकेश मान ने बताया कि सुबह सूचना मिली कि केतन गेट के समीप सुजान गंगा नहर में एक महिला का शव दिखाई दिया, जिस पर महिला के शव सुजानगंगा नहर से बाहर निकलवा कर शिनाख्त कराई। परिजनों ने महिला की पहचान सुशीला शर्मा पत्नी ओमप्रकाश शर्मा निवासी एकता विहार कॉलोनी के रूप में की। महिला के परिजनों का कहना है कि महिला बीमारी को लेकर तनाव में चल रही थी। उसकी कुछ दिनों पूर्व हार्ट की बायपास सर्जरी हुई थी। सुबह वह घर से बिना बताए निकल गई थी। जब उन्हें सूचना मिली कि सुजानगंगा नहर में एक शव मिला है। वहां जाकर देखा तो सुशीला देवी की पहचान हुई।

Post Graduate Institute of Veterinary Education and Research
OFFICE OF THE PRINCIPAL INVESTIGATOR, RKVY Project,
Establishment of Biosafety level-3 (BSL-3) facility for the diagnosis of emerging zoonotic diseases
Rajasthan University of Veterinary and Animal Sciences (RAJUVAS)
NH-21, Agra Road, Jamdoli, Jaipur, Rajasthan-302031
E-Mail : pirkvyprojectcdsrz@gmail.com, Contact : 9414250161
No. :- F. ( )/PGIVER/CDSRZ/2024-25/180 Date :- 07/10/2024
Notice Inviting Bid (NIB)
Electronic Bids are invited from eligible original manufactures/importers/ authorized distributors on E-Procurement portal for Establishment of BSL-3 Laboratory on Turnkey Basis of estimated cost Rs 250.00 lacs. All the details, terms and conditions related to this E-Tender-01 are available on SPPP website http://sppp.rajasthan.gov.in and www.rajuvas.org and further can be downloaded and uploaded for electronic submission on E-Proc. website http://eproc.rajasthan.gov.in from 09.10.2024 to 08.11.2024 by 4:00 PM.
UBN No. : VAU2425GLOB00084 Principal Investigator
Raj.Samwad/C/24/6565 CDSRZ & BSL-3

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड खानपुर
क्रमांक-1069 दिनांक-09.10.2024
अल्पकालीन ई-निविदा सूचना संख्या 17/2024-25
राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से सड़क/पुलिया मरम्मत व निर्माण कार्यो के लिये उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान में पंजीकृत संवेदकों एवं राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/डाक एवं दूर संचार विभाग/रेलवे इत्यादि में पंजीकृत संवेदकों, जो कि राजस्थान सरकार के "एए" एवं "ए" "बी", सी श्रेणी के संवेदकों के समका हो, से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्यूरमेंट प्रक्रिया हेतु ऑन लाईन निविदा आमंत्रित की जाती है।
निविदा से सम्बन्धित समस्त विवरण वेबसाईट "www.diproline.org", "www.eproc.rajasthan.gov.in" तथा "www.pwd.rajasthan.gov.in" पर देखा जा सकता है। इच्छुक संवेदकों को अपने डिजिट हस्ताार के माध्यम से वेबसाईट "www.eproc.rajasthan.gov.in" पर रजिस्टर करवाना आवेश्यक है।
UBN NO. (1) PWD2425WSOB07637, UBN NO. (2) PWD2425WSOB07638,
UBN NO. (3) PWD2425WSOB07639, UBN NO. (4) PWD2425WSOB07640
अधिशाषी अभियंता
DIPR/C/9844/2024 सा.नि.वि. खण्ड खानपुर